डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-60 **New Delhi: 09.02.2021**

Sh. Ashok Jakhar
Rajasthan

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your RTI application dated 22.012021 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 02 sheets

09.02.2021

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

No. AII/AD/RTI/CIC/R-298

Date: 09.02.2021

Sh. S K Roy
DGM & PIO
DFCCIL, New Delhi

Subject: Information under right to information act 2005

Ref: RTI application dt. 22.01.2021 of Sh. Ashok Jakhar and received through DOPT, vide your letter no. 2021/HQ/Admin/RTI-60 dt. 22.01.2021.

Vide above subject, Desired information is as below:

1. **Moka Parcha is not available in this office.**
2. **Photograph & video CD is not available.**
3. **Letter of DM/Ajmer is attached with this letter.**

PIO, DFCCIL is requested to kindly provide this information, in respect of the referred RTI.

09.02.21
Area Manager (APIO)
DFCCIL, Ajmer

आवश्यक / मजिस्ट्रेट ड्यूटी (4) (70)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर – 305001

कमांकः– कअ / न्याय–6 / 2018 / 01

दिनांक: ~~–12–2018~~ 01/01/2019

–::0 आदेश 0:: –

उप परियोजना प्रबन्धक/इंजी. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 24–12–2018 द्वारा अवगत कराया है कि विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी समर्पित मालभाडा कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन हेतु तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा के विभिन्न खसरा संख्या की भूमि अवाप्त की गई है। रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 ड की उपधारा–2 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से उक्त भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई है। तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा में रेलवे फाटक सं0 13 के पास स्थित संरचना एवं नांगलियाबास रेल पुलिया के पास जमीन अवाप्त की जा चुकी परन्तु हितबद्धकारी द्वारा अवार्ड की राशि का भुगतान अनेक आग्रहों के बाद भी नहीं लिया गया है। उक्त खसरा नम्बर में सम्बन्धित हितबद्धधारीगण की कुल मुआवजा राशि माननीय न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के वहां रेफरेन्स के तहत दिनांक 09–08–2018 को जमा करा दी गयी है। अब उक्त भूमि को कब्जे में लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। परन्तु डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को अभी तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है तथा कार्य उक्त स्थान पर रूक गया है, उक्त भूमि हिस्से का अधिकार/कब्जा लेने, के लिए डी.एफ.सी.सी. आई.एल. द्वारा उचित संख्या में पुलिस जाप्ता मय महिला कानि0 सहित जब तक उपरोक्त कब्जा लेने की प्रकिया चलेगी तब तक उपलब्ध करवाने तथा "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" नियुक्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 24–12–2018 के कम में प्रस्तावित उक्त कार्यवाही के दौरान कानून–शान्ति एवं अन्य व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु श्री समदर सिंह भाटी, **उपखण्ड मजिस्ट्रेट,** पीसॉगन जिला अजमेर (98284–79912) को "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी.I, डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर से तुरन्त सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारियों /डेडीकेटेड फ्रेन्ट कॉरीडोर कारपो0 ऑफ इण्डिया लि0 के अधिकारियों से समन्वय/सम्पर्क स्थापित कर, प्रस्तावित कार्यवाही हेतु समुचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

कमांकः– कअ / न्याय–6 / 2018 / 6-15

दिनांक: ~~–12–2018~~ 01/01/2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है :–

1– सम्भागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

2– जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यवाही के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता, मय महिला कानि0 सहित उपलब्ध कराकर कानून, शान्ति एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावें ।

3– अति0कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन / शहर), अजमेर

4– **श्री समदर सिंह भाटी,** उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीसांगन (संलग्न डीएफसीसी का पत्र 24–12–18)

5– उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसॉगन (संलग्न डीएफसीसी का पत्र 244–12–18)

6– उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी.I, डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर का उनके पत्र दिनांक 24–12–2018 8–तहसीलदार, पीसागन जिला अजमेर

7– प्रभारी अधिकारी, पूल / नाजरात शाखा, अजमेर

8–निजी सहायक जिला कलक्टर (कार्यालय / निवास), अजमेर

9–– निजी सहायक अति.जिला मजिस्ट्रेट– शहर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेटगण को उक्तानुसार ड्यूटी बाबत दूरभाष पर सूचित करावें।

10–आदेश पत्रावली

ACPM/Civil/Finance
Dy.CPM/Civil-I / II /Elect./S&T
PM/Engg./ARB/Elect.
Dy.PM/Civil/..../Elect.(HQ)/SQT/OP&BD/Fin.

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

AM/... Dy.PM/EN/I